FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

आनोपसिंह .... बनाम .... [illegible] वगैरह ....

किस्म मुकदमा ..... [illegible] 251(A) [illegible] ..... नं. ..... 07 ..... सन ..... 2018 .....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3-1-18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/1/18 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
23/01/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री रिछपाल सियाग द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई शेष विप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थी संख्या 2 व 3 स्वयं या उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।	अन्डर टेकिंग/ रिछ. 1 [signature] 23/1/18

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:47:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी वकील द्वारा तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार गिड़ा को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर पत्रावली वास्ते विप्रार्थी संख्या-1 के वकालतनामा व जवाब हेतु दिनांक 28/02/18 को पेश हो।

[signature]

28/02/18

[illegible] पेश हुई। वकुलाय [illegible] अधि. [illegible] मिसल [illegible] 27/03/18 को पेश हो। [signature]

27/03/18

प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-1 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-1 की ओर से वकील श्री रिणछोड़राम सियाग द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली विप्रार्थी संख्या-1 के जवाब हेतु दिनांक 30/04/18 को पेश हो। [signature]

30/04/18

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इलतवा होकर दिनांक 22/05/18 को पेश हो। [signature]

22/05/18

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत [illegible] मूलराज में रखी गई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली [illegible] विप्रार्थी संख्या-1 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं [illegible] [illegible] पेश करना चाहते हैं [illegible] दिनांक 06/08/18 को पेश हो। [signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:47:52 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/08/18	बुलाहट फरीकैन उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाईनल पेश करना चाहते है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः पद रिक्त होने से मिशल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 30/10/18 को पेश हो। [initials]	
30/10/18	बुलाहट फरीकैन उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते निरस्त करने आवेदन पत्र का प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिशल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 20/11/18 को पेश हो। [initials]	
20/11/18	बुलाहट फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिशल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 30/01/19 को पेश हो। [initials]	
30/01/19	प्रार्थी व विपक्षी संख्या-1 के वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र वास्ते आवेदन निरस्त करने बाबत का प्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति विपक्षी अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] पत्र बहस हेतु पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:47:52 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
06/02/19	पत्रावली फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। विपक्षी वकील द्वारा बताया कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 113 मौजा चारणोत में आने जाने हेतु विपक्षीगण के खेत खसरा नम्बर-147/95 मौजा चारणोत में से रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता से आगे कोई सरकारी रास्ता या सड़क मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। परन्तु प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर-147/95 से आगे सड़क मार्ग होना अंकित किया गया है जबकि तरमीम शुदा नक्शा में खसरा नम्बर 147/95 से आगे कोई सड़क मार्ग मलग्न से तरमीम शुदा नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता से कहां जायेगा, यह स्वयं संदेहास्पद है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रा० आवे० 251ए RTAct प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है जिस कारण उक्त प्रार्थना-पत्र इसी स्टेज पर खारीज किया जावे। जबकि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि ख० न० 147/95 में सरकारी डामर सड़क चल रही है जो तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में सरकारी डामर सड़क लाल स्याही से तरमीम की हुई है इस कारण प्रस्तावित रास्ता संदेहास्पद नहीं है तथा उक्त आवेदन-पत्र 251ए RTAct के प्रावधानों के अनुसार सही पेश किया गया है इस कारण विपक्षी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को इसी स्टेज पर खारीज	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:47:52 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	फरमाया जावे। हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ता-ओं की बहस पर मनन किया गया, बाद मनन यह प्रकट होता है कि मात्र लिपिकीय त्रुटि के आधार पर प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। तथा साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत खसरा ट्रेस व तहसीलदार गिर्दा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में विरोधाभास की स्थिति है इसलिए विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते आवेदन खारिज करने को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। तथा तहसीलदार गिर्दा को पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 25/03/19 को पेश हो।	
25/03/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय नक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 08/05/19 को पेश हों।	
08/05/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिर्दा से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तथा विप्रार्थी वकील द्वारा मूल आवेदन का जवाब पेश नहीं किया गया। फाइनल पेश करना चाहते हैं। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 25/06/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:47:52 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/06/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया आईन्दा पेश करना चाहते है पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 02/07/19 को पेश हो। [signature]	
02/07/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 23/07/19 को पेश हों। [initials]	
23/07/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से पालना रिपोर्ट प्राप्त। जो पूर्व में भिजवाई गई मौका रिपोर्ट की फोटो प्रति संलग्न कर भिजवाई गई है जो मूल ही तहसीलदार ~~साहब~~ को ~~...~~ गिड़ा पुनः लोटाकर विस्तृत रिपोर्ट हेतु लिखा जावे। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली आईन्दा दिनांक 20/08/19 को पेश हो। [signature]	
20/08/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 16/09/19 को पेश हों। [initials]	
16/09/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 06/11/19 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:47:52 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/11/19	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 के वकील द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी के अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली फाइनल दिनांक 18/11/2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
18/11/19	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-1 के वकील व विप्रार्थी संख्या-1 स्वयं उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे की ओरिजनल प्रति प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 03/12/19 को पेश हो।	[illegible]
03/12/19	पत्रावली आज पेश हुई। वजुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 06/01/20 को पेश हो।	
06/01/20	वजुलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार गिड़ा से नक्शा प्राप्त नहीं हुआ है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 25/02/2020 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:47:52 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/02/20	पुकार फरीकेन उपस्थित / तहसीलदार गिड़ा से नजरी नक्शा प्राप्त नहीं हुआ है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 21/10/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
21/10/20	पुकार फरीकेन उपस्थित / तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट के संलग्न ओरिजनल नक्शे की प्रति प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मूल आवेदन व मौका रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन प्रार्थी का आवेदन व तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट स्वीकार की जाकर आदेश अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो. दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:47:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 07 / 2018 दिनांक :– 21/10/2020

प्रार्थी

1. अनोपसिंह पुत्र परबतसिंह जाति राजपूत निवासी चारणेत, सवाउ पदमसिह, तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राणीदान पुत्र पूंजराजसिंह
2. मोहनसिंह पुत्र पूंजराजसिंह जाति राजपूत निवासी चारणेत, सवाउ मूलराज तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
3. शाखा प्रबंधक जेटीजीबी सवाउ पदमसिंह

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री खेताराम जाखड़ा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री रिणछाराम सियाग अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 1

आदेश

प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 113 रकबा 69.16 बीघा ग्राम चारणेत पटवार मण्डल सवाउ मूलराज तहसील गिड़ा से सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 147 / 95 रकबा 47.00 बीघा में से होकर 15 फीट चौड़ा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया। विप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं होने से दिनांक 23.01.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया गया।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार गिड़ा को लिखा गया। मौका रिपोर्ट तहसीलदार गिड़ा द्वारा तैयार की गई। तहसीलदार गिड़ा ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 113 में से होकर सड़क तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:47:52 IST
Reason: SelfAttested

...त खसरा नम्बर 147/95 में से रास्ता चाहा गया है, सो रास्ता निकाला जाना उचित है। ...क्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग वर्तमान में नहीं चल रहा है। सड़क से कम दूरी व मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में डॉट डॉट का रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 00.07 बीघा है। जिसमें कोई भी टांका, मन्दिर, पेड़, कच्चा-पक्का निर्माण मौजूद नहीं है।

तहसील कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 147/95 से मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते अनुसार ही मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु आता जाता रहा है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार 00.07 बीघा का रास्ता कायम किया जाये। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को रास्ते हेतु नियमानुसार मुआवजा राशि अदा कर चुका है।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना, उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान् के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थीगण के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विधमान है। प्रार्थीगण को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्कता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जहां से होकर प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 113 तक पहुंच सकें।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चारणेत पटवार मण्डल सवाउ मूलराज तहसील गिड़ा के खसरा नम्बर 147/95 में से होकर खसरा नम्बर 113 तक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 147/95 में से 00.07 बीघा का रास्ता मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में दर्शाये गये प्रस्तावित रास्ते के अनुसार कायम किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:47:52 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि का प्रतिकर डी.एल सी की दर प्रति बीघा 17550/– से दुगना देय होगा। सीलदार गिड़ा प्रार्थी को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि यानि 07 बिस्वा की राशि 12285 तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि 12285/– नियमानुसार विप्रार्थीगण को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 21/10/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:47:52 IST
Reason: SelfAttested